542 मवेशियों को पकड़कर गौशालाओं में भेजा

रतलाम। नगर निगम द्वारा सार्वजनिक स्थानों, सड़कों, चौराहों पर स्वच्छंद विचरण करने वाले मवेशियों को पकड़कर गौशालाओं में भेजा जा रहा है। इसके तहत अब तक 542 मवेशियों को पकड़कर जिले की गौशालाओं में भेजा जा चुका है। मंगलवार को अलकापुरी से दो मवेशी निगम के स्वास्थ्य विभाग के अमले द्वारा पकड़े गए।

540 मवेशियों को पकड़कर गौशालाओं में भेजा

रतलाम। नगर को साफ-स्वच्छ व सुन्दर बनाने हेतु नगर निगम द्वारा सार्वजनिक स्थानो, सड़को, चौराहो पर स्वच्छंद विचरण करने वाले मवेशियो को पकड़कर गौशालाओं में भेजा जा रहा है जिसके तहत 12 अक्टूबर से 11 जनवरी तक 540 मवेशियों को पकड़कर जिले की गौशालाओं में भेजा गया। कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पालिक निगम गोपालचन्द डाड व निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार स्वास्थ्य अमले द्वारा 12 अक्टूबर से अभियान चलाया गया तथा 11 जनवरी तक शहर के विभिन्न क्षेत्रों से 540 मवेशियों को पकड़ा जाकर जिले की विभिन्न गौशालाओं में भेजा गया। अभियान के तहत 11 जनवरी को टाटा नगर व दीनदयाल नगर से 2 मवेशी निगम के स्वास्थ्य विभाग के अमले द्वारा पकड़े गये। शहर के सार्वजनिक स्थानो, सड़को चौराहो को मवेशी मुक्त बनाये जाने हेतु नगर निगम द्वारा शहर के मवेशी पालकों के बाड़े एवं तबेलो को अभियान चलाकर तोड़ा जायेगा इस हेतु निगम द्वारा नगर के सभी मवेशी पालकों को नोटिस जारी किया गया है। शहरी क्षेत्र में मवेशियों का पालन करना नियम विपरित है, ऐसे मवेशी पालक जो कि शहरी क्षेत्र में अनुमति के विपरित तबेले एवं बाड़ो का निर्माण कर मवेशियों का पालन किया जा रहा है वे स्वंय अपने तबेले एवं बाड़े नहीं तोड़ते है तो निगम द्वारा उन्हे तोड़ा जाकर राशि वसूल की जायेगी। नगर निगम एक्ट की धारा 358 के तहत कोई भी व्यक्ति जो कि अपना घोड़ा या अन्य किसी भी पशु को अपनी इच्छा से खुला छोड़ेगा व उससे किसी व्यक्ति या संपत्ति को नुकसान पंहूचता है तो पालक पर 500 रूपये का अर्थदण्ड किये जाने का प्रावधान है। निगम एक्ट के तहत अब स्वच्छंद विचरण करने वाले मवेशी पालकों के घर जाकर निगम दस्ता अर्थदण्ड राशि रूपये 500/- वसूल करेगा।

इन्दौर समाचार

13-1-2021

जनवरी के 12 दिन में 146 नए मरीज मिले

मंगलवार को 18 पॉजिटिव मिले, दो दिन में मिल जाएगी नई किट

रतलाम (नईदुनिया प्रतिनिधि)। जिले में कोरोना के नए मरीज मिलने की रफ्तार तीन दिन से फिर तेज हो गई है। हालांकि दिसंबर की अपेक्षा इस महीने अभी तक की स्थिति ठीक है। जनवरी के 12 दिन में 146 नए मरीज मिले जबकि दिसंबर में 319 मिले थे और तीन मौत हो गई थी। इस महीने अभी तक एक ही मौत हुई है।

मंगलवार को 523 रिपोर्ट में 18 नए संक्रमित मिले, जिसमें मेडिकल कॉलेज लैब की 150 रिपोर्ट में 14 और रैपिड एंटीजन की 373 रिपोर्ट में 4 मरीज शामिल हैं। जिले में संक्रमितों की संख्या 4228 हो गई है। मंगलवार को 15 मरीजों के डिस्चार्ज होने पर स्वस्थ होने वालों की संख्या 3994 हो गई है। 79 मरीजों की मौत हो चुकी है जबकि 155 मरीज एक्टिव हैं। 16 जनवरी से कोरोना का टीका लगाने की तैयारी भी तेजी से चल रही है। जिले के सभी 21 केंद्रों पर स्वास्थ्य विभाग का अमला प्रोटोकाल के तहत तैयारी कर रहा है। 15 जनवरी तक वैक्सीन के जिले में पहुंचने की संभावना है।

मेडिकल कॉलेज लैब में 10 मई से

नामली में मृत पक्षी को उठाते अमरसिंह सोलंकी। मौजूद पूर्व पार्षद श्रीनाथ योगी।

31 दिसंबर तक एक लाख आरटीपीआर टेस्ट किए गए हैं। किट की समस्या से जनवरी में टेस्ट कम हुए हैं, लेकिन दो दिन बाद व्यवस्था और बेहतर हो जाएगी। अब दूसरे कंपनी की किट दिल्ली से आ रही है।

कौए सहित 54 पक्षियों के शव मिले

जिले में 6 जनवरी से अब तक 54 पक्षियों के शव मिल चुके हैं, जिसमें 34 कौए शामिल हैं। मंगलवार को भी 10 पक्षियों के शव मिले जिसमे दो कौए और बगुला, तोता, उल्लू शामिल है। वहीं जिले की 33 पोल्ट्री फार्म की जांच करके 38 सैंपल लिए गए हैं। अभी तक बर्ड फ्लू जैसी कोई बीमारी सामने नहीं आई है। पशु चिकित्सा सेवाएं विभाग के प्रभारी उप संचालक डॉ. डीके जैन ने बताया कि जिले बर्ड फ्लू की पुष्टि नहीं हुई है। एक साथ पांच से अधिक कौओं की मौत भी दो बार ही हुई है। हमारी टीमें जिले में लगातार निगरानी कर रही हैं।

नामली में मृत मिले पक्षी को जलाया

नामली। नगर के हनुमान रोड स्थित आरा मशीन क्षेत्र से मिले मृत पक्षी (हुलड़) का अंतिम संस्कार किया गया। पूर्व पार्षद श्रीनाथ योगी ने बताया कि रहवासियों से मंगलवार सुबह क्षेत्र में एक पक्षी के मृत पड़े होने की सूचना मिली थी। सूचना तत्काल पटवारी जितेंद्र अवस्थी को दी गई। मौके पर पहुंचे पशु चिकित्सक कार्यालय के अमरसिंह सोलंकी ने पक्षी को सावधानीपूर्वक उठाकर ले जाने की प्रक्रिया की। पशु चिकित्सक राजेश पुरोहित ने बताया कि मृत मिले पक्षी को जलाया गया।

कलेक्टर जनसुनवाई में आवेदनो का निराकरण किया

12-1-2021

रतलाम। मंगलवार को जिला स्तरीय जनसुनवाई कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में संपन्न हुई। कलेक्टर गोपालचंद्र डाड ने आवेदनो पर सुनवाई करते हुए संबंधित विभागों को निराकरण के निर्देश जारी किए। अपर कलेक्टर श्रीमती जमुना भिडे तथा डिप्टी कलेक्टर सुश्री शिराली जैन ने भी जनसुनवाई में प्राप्त आवेदनों का निराकरण किया, इस दौरान 38 आवेदन प्राप्त हुए।जनसुनवाई में मित्र निवास कालोनी निवासी अब्दुल वहीद ने आवेदन दिया कि उसके क्षेत्र में अवैध निर्माण कार्य किया गया है। अवैध निर्माण कार्य तोड़ा जाए। प्रकरण आयुक्त नगर निगम को निराकरण हेतु प्रेषित किया गया है। इन्द्रा नगर निवासी हेमेन्द्र प्रजापति ने आवेदन दिया कि प्रार्थी की डोसीगांव स्थित भूमि पर आने-जाने वाले रास्ते पर रेलवे द्वारा मालगोदाम बनाकर एंगल के जंगले लगा दिए गए हैं जिससे आने-जाने में काफी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। रास्ता विवाद का प्रकरण होने से निराकरण हेतु एसडीएम शहर को भेजा गया है। बाजना निवासी इन्द्रवर्द्धन पिता देवीलाल सोनी ने आवेदन में बताया कि वह अपने भवन का निर्माण करना चाहता है किन्तु पडौसी द्वारा भवन का निर्माण नहीं करने दिया जा रहा है और आए दिन गाली-गलौच व मारपीट पर आमादा हो जाते है, उचित कार्यवाही की जाए। प्रकरण पुलिस अधीक्षक को निराकरण हेतु भेजा गया है। ग्राम बड़ायला सरवन निवासी ओमप्रकाश पिता रामनारायण लोढ़ा ने आवेदन में बताया कि उनकी निजी जमीन की तरफ पडोसी द्वारा खिड़की व उजालदान बनवाया जा रहा है।

लोक सेवा गारंटी के आवेदन लंबित, तहसीलदारों को नोटिस

नई दुनिया 13-1-2021

रतलाम। मुख्यमंत्री हेल्पलाइन शिकायतों के निवारण शासकीय भूमि पर अतिक्रमण के मामलों में फोर्स क्लोज नहीं करना है। यह निर्देश गत दिवस समय सीमा पत्रों की समीक्षा (टीएल) बैठक में सभी एसडीएम को दिए। कलेक्टर ने कहा कि 20 जनवरी तक एल-1 स्तर के सभी निराकरण सुनिश्चित करें। 21 जनवरी को होने वाली दिशा बैठक की तैयारियों के संदर्भ में कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि ग्रामीण क्षेत्रों में शिकायतों के निराकरण के संबंध में अपने क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों से चर्चा कर उनके विश्वास में कार्य करें। बैठक में अधिकारी संपूर्ण जानकारी लेकर आएं।

लोक सेवा गारंटी की समीक्षा के दौरान पाया गया कि रावटी तहसील के 17 आवेदन समय सीमा से बाहर चले गए हैं। नायब तहसीलदार नामली से भी एक आवेदन समय सीमा से बाहर है। कलेक्टर ने संबंधित नायब तहसीलदारों को शोकॉज नोटिस देने और पेनल्टी लगाने के निर्देश दिए। बड़ावदा सीएमओ को एक आवेदन समय सीमा से बाहर जाने पर शोकाज नोटिस देने के निर्देश दिए गए। कलेक्टर ने कहा कि कार्य नहीं करने पर बड़ावदा सीएमओ के विरुद्ध विभागीय जांच की जाएगी। 15 जनवरी को रतलाम में रोजगार मेले आयोजन की तैयारियों की भी समीक्षा कलेक्टर द्वारा की गई। निगमायुक्त सोमनाथ झारिया द्वारा स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में रतलाम को अव्वल स्थान दिलाने के लिए किए जा रहे कार्यों की जानकारी दी।

खाद्य व औषधि निरीक्षक बैठक में मौजूद रहें

कलेक्टर ने जिले में मिलावट से मुक्ति के लिए अभियान के तहत कार्रवाई जारी रखने व खाद्य एवं औषधि निरीक्षक को अनिवार्य रूप से प्रति सप्ताह समय सीमा पत्रों की समीक्षा बैठक में उपस्थित रहने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने मिलावट से मुक्ति अभियान के संबंध में सभी एसडीएम से चर्चा की। जावरा एसडीएम राहुल धोटे ने बताया कि जावरा में नकली खाद की आशंका में फैक्ट्री सील की गई है, वहां केमिकल मिले है जिनसे मिलावट की आशंका प्रतीत होती है।

नई दुनिया
13-1-2021

तैयारी • 24 तक 8174 फ्रंट लाइन वर्करों को लगाया जाएगा टीका, मंगलवार, शुक्रवार व रविवार को वैक्सीन नहीं लगाई जाएगी

खुशियों का टीका... अब सिर्फ 3 दिन दूर

15 से ज्यादा सेंटरों में 21 साइट पर एक दिन में 1634 लोगों को वैक्सीन लगाने की तैयारी

कर्मचारी से लेकर अफसर तक वैक्सीनेशन की तैयारी में हर स्तर पर जुटे

इंदौर से रतलाम आएगी वैक्सीन... आज या कल पहुंच सकती है

भास्कर संवाददाता | रतलाम

13-1-2021

खुशियों का टीका... यानी कोरोना वैक्सीन अब हमसे ज्यादा दूर नहीं है। 16 जनवरी से हमारे जिले में टीकाकरण होने लग जाएगा। अफसरों से लेकर छोटे कर्मचारी तक तैयारियों में जुट गए हैं। सबसे पहले 15 से ज्यादा सेंटरों की 21 साइट पर 1 दिन में 1634 फ्रंटलाइन वर्करों को वैक्सीन लगाने की तैयारी है।

हमारे जिले में 8147 फ्रंटलाइन वर्करों को कोरोना वैक्सीन लगाई जाएगी। 16 जनवरी से टीकाकरण शुरू करने की तैयारी है। इसके लिए जिले में 15 सेंटर बना दिए गए हैं, ये और बढ़ सकते हैं। इन सेंटरों पर ही अलग-अलग जगह 21 साइट रहेगी। फ्रंटलाइन वर्करों को 16 से 24 जनवरी तक टीके लगाए जाएंगे।

मंगलवार, शुक्रवार और रविवार को वैक्सीन नहीं लगाई जाएगी। इसके बाद आखिरी दिन 24 को वैक्सीन लगाई जाएगी। इधर, 14 जनवरी को दोपहर 12 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होगी। इसमें मुख्यमंत्री सभी जिलों के क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप, धर्मगुरु, सामाजिक संगठनों से चर्चा करेंगे।

जिले में वैक्सीन कब आएगी, इसे लेकर अभी स्पष्ट कुछ नहीं हो सका है। लेकिन, 14 या 15 तक जिले में वैक्सीन आ सकती है। 16 जनवरी को इसकी लॉन्चिंग होना है। सबसे पहले वैक्सीन इंदौर आएगी। एक दिन में 1634 लोगों को वैक्सीन लगाने की तैयारी की जा रही है तभी 5 दिन में 8174 लोगों को वैक्सीन लग पाएगी।

कोल्ड स्टोरेज में स्टोर होगी वैक्सीन

रतलाम पहुंचने के बाद कोल्ड स्टोरेज में वैक्सीन को रखा जाएगा। जिले में 29 कोल्ड स्टोरेज बने हुए हैं। हालांकि, वैक्सीन ज्यादा संख्या में नहीं होती है तो जिला अस्पताल के कोल्ड स्टोरेज में इसे रख सकते हैं। इसके बाद अन्य सेंटरों के स्टोरेज में पहुंचाया जाएगा। जिले में 104 कोल्ड बॉक्स भी हैं। 1575 वैक्सीन कोरियर हैं जिनसे वैक्सीन को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाया जा सकता है।

टीकाकरण केंद्रों पर टीम ने व्यवस्थाओं को परखा

जिन केंद्रों में टीकाकरण होना है, वहां मंगलवार को स्वास्थ्य विभाग की टीमों ने व्यवस्थाएं देखीं। केंद्रों में जरूरत के इंतजाम किए गए हैं। केंद्र सीधे दिल्ली से जुड़ेंगे। नेता या अफसर यदि चाहे तो किसी भी केंद्र पर टीकाकरण को देख सकेंगे।

ये भी खास

- फ्रंटलाइन वर्करों को वैक्सीन के दो डोज लगाए जाएंगे। पहला डोज लगने के बाद, दूसरे टीके की जानकारी दी जाएगी।
- फ्रंटलाइन वर्करों के बाद 50 साल से ज्यादा उम्र के ऐसे लोग जिन्हें कोई बीमारी है, उनका टीकाकरण होगा।
- इसके बाद 50 साल से ज्यादा उम्र के बचे हुए लोगों को टीके लगाए जाएंगे।
- टीका लगने के बाद 30 मिनट सेंटर पर ही रुकना होगा। अभी स्वास्थ्य केंद्रों में टीके लग रहे हैं। ऐसे में डॉक्टर वहीं मौजूद रहेंगे।
- जिन लोगों को टीका लगना है उनका रजिस्ट्रेशन पहले ही हो चुका है। सूची भोपाल भेज दी गई थी।

इन सेंटरों पर लगेगी वैक्सीन

- बाल चिकित्सालय
- मेडिकल कॉलेज
- रेलवे अस्पताल
- सैलाना
- ताल
- नामली
- पिपलौदा
- आलोट
- जावरा
- बिलपांक
- धामनोद
- रावटी
- बाजना
- सुखेड़ा
- खारवाकला

इंतजाम किए जा रहे हैं

कोरोना वैक्सीन को लेकर तैयारियां की जा रही हैं। पहले फ्रंटलाइन वर्करों को वैक्सीन लगेगी। इसके लिए इंतजाम सुनिश्चित किए जा रहे हैं। ड्राय रन हो चुका है, इसमें आने वाली परेशानियों को भी देखा जा रहा है।

गोपालचंद्र डाड, कलेक्टर, रतलाम

जिले में 18 नए पॉजिटिव, अब कुल संक्रमित 4228

अभी मास्क ही वैक्सीन है

रतलाम | जिले में मंगलवार को 18 नए पॉजिटिव मिले हैं। इसी के साथ अब कुछ संक्रमितों की संख्या 4228 हो गई।

नए संक्रमितों में धामनोद की 21 वर्षीय युवती, ग्राम बिबड़ौद के 65 वर्षीय पुरुष, रामगढ़ की 85 वर्षीय महिला, 90 वर्षीय पुरुष, नामली की 85 वर्षीय महिला, पिपलौदा की 52 वर्षीय महिला, रेलवे कॉलोनी की 40 वर्षीय महिला, मित्र निवास कॉलोनी के 35 वर्षीय पुरुष, वेद व्यास कॉलोनी के 52 वर्षीय पुरुष, अंबिका नगर के 35 वर्षीय पुरुष, सदर बाजार बड़ावदा के 80 वर्षीय पुरुष, अरिहंत परिसर की 55 वर्षीय महिला, गंगासागर की 61 वर्षीय महिला, दीनदयाल नगर की 28 वर्ष की महिला, सुमंगल गार्डन के 26 वर्षीय पुरुष, सुयोग परिसर के 63 वर्षीय पुरुष, मिड टाउन की 25 वर्षीय महिला व इंदिरा नगर के 36 वर्षीय पुरुष शामिल हैं। जिले में एक्टिव केस 155 हैं।

सरकार ने भूमि विकास नियम बदला

अब कॉलोनी और प्लॉट के लिए बिल्डर नहीं ले पाएंगे प्राइवेट आर्किटेक्ट से मंजूरी

सुधीर निगम | भोपाल

बिल्डर और कॉलोनाइजर अब प्राइवेट आर्किटेक्ट से बिल्डिंग परमिशन नहीं ले पाएंगे। प्राइवेट आर्किटेक्ट से परमिशन लेकर उसका दुरुपयोग हो रहा था। भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण (रेरा) के पास इस मामले में कुछ शिकायतें पहुंची थी। इस पर रेरा ने आपत्ति ली और कहा था कि यह नियम आम लोगों को सुविधा देने के लिए बनाया गया है। इसका लाभ बिल्डर ले रहे हैं। इसलिए अब नगरीय प्रशासन ने भूमि विकास नियम बदल दिया है। इसके मुताबिक अब केवल अपने लिए मकान बनाने वाले लोग ही प्राइवेट आर्किटेक्ट से भवन अनुज्ञा ले पाएंगे।

अब तक ये था नियम : नगरीय प्रशासन ने वर्ष 2016 में बिल्डिंग परमिशन को आसान बनाने के लिए नियम में बदलाव करते हुए प्राइवेट आर्किटेक्ट को इसके लिए अधिकृत किया था। बिल्डिंग परमिशन देने के लिए आर्किटेक्ट की योग्यता तय की गई थी। शेष | पेज 7 पर

अब कॉलोनी और प्लॉट के लिए बिल्डर...

ग्राम एवं नगर निवेश डायरेक्टर इन्हें अधिकृत करता है और इसके लिए संबंधित निकाय में आर्किटेक्ट का रजिस्ट्रेशन होता है। इसमें 300 वर्ग मीटर तक के प्लॉट पर प्राइवेट आर्किटेक्ट बिल्डिंग परमिशन दे सकता है। इसमें परमिशन लेने वाले को निकाय के चक्कर नहीं लगाना पड़ता।

बिल्डर ऐसे कर रहे थे गड़बड़ी

आम लोगों की सुविधा के लिए बनाए इस नियम के लूप होल का फायदा कई बिल्डरों ने उठाया। उन्होंने पूरी कॉलोनी की परमिशन लेने के बजाय प्राइवेट आर्किटेक्ट से अलग-अलग प्लॉट की अलग-अलग बिल्डिंग परमिशन ली। इसमें कई जगह कॉलोनी का विकास भी नहीं हुआ, लेकिन प्लॉट पर बिल्डिंग परमिशन मिल गई। अलग-अलग परमिशन लेने से कर्मकार कल्याण में मिलने वाली छूट का लाभ भी हुआ। इसके बाद शासन का ध्यान इस ओर गया और अब नियम में बदलाव किया है। संशोधन के अनुसार बेचने के उद्देश्य से मकान बनाने वाले कॉलोनाइजर को प्राइवेट आर्किटेक्ट बिल्डिंग परमिशन नहीं दे सकेंगे।

संकलन–नगर निगम, रतलाम अखबार इन्दौर समाचार पृष्ठ ...2... दिनांक ...1.3.1.....2021

उद्यानों से निकलने वाले कचरे से बनेगी खाद

रतलाम। नगर निगम स्वामित्व के उद्यानों से निकलने वाले कचरे का उचित रीति से प्रसंस्करण कराने हेतु कचरे से खाद बनाने के लिये कम्पोस्ट पिट बनाने का कार्य निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार उद्यान विभाग के अमले द्वारा किया जा रहा है ताकि कचरा उत्सर्जन स्थल पर ही निपटान के साथ ही उद्यानों के लिये खाद उपलब्ध होकर उद्यान हरे-भरे रहे। निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 की पूर्व तैयारियों के तहत नगर निगम के ऐसे उद्यान, जिनमें कम्पोस्ट पिट नहीं बने है उनमें पिट निर्माण का कार्य किया जा रहा है।

82 दिनों में ठीक किए 121 वॉल्व व 566 पाइप लीकेज

रतलाम। शहर की जलप्रदाय व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए पाइप लाइन व वॉल्व लीकेज ठीक करने का कार्य जलप्रदाय विभाग द्वारा किया जा रहा है। इसके तहत 82 दिनों में 121 वॉल्व व 566 पाइप लाइन लीकेजों को ठीक किया जा चुका है। रतलाम जलशक्ति अभियान वाट्सएप ग्रुप में लीकेज की समस्या को अपलोड कर तत्काल निराकरण करवाया जा रहा है। मंगलवार को गांधी नगर, अमृत सागर उद्यान के सामने, राजेंद्र नगर शुभम स्कूल के पास, पटेल कॉलोनी, शास्त्री नगर पुलिया के नीचे, भाटों का वास, रामबाग जैन साहब के घर के सामने, जयभारत नगर मस्जिद के सामने व गली नंबर एक में पाइप लाइन लीकेज और आम्बेडकर नगर, इंदिरानगर में वॉल्व ठीक करवाया गया। उक्त कार्यवाही कार्यपालन यंत्री सुरेशचंद्र व्यास, जलप्रदाय विभाग प्रभारी सत्यप्रकाश आचार्य, उपयंत्री सुहास पंडित, भैयालाल चौधरी के अलावा नीरज यादव, मोहन आदि के निर्देशन में की गई।

कलेक्टर ने सख्ती से कार्रवाई के दिए निर्देश

समय पर काम नहीं करने वालों को नोटिस के निर्देश

पत्रिका न्यूज़ नेटवर्क
patrika.com 13-1-2021

रतलाम. जिले में मिलावट से मुक्ति के लिए अभियान के तहत सख्ती से कार्रवाई जारी रखी जाए। खाद्य एवं औषधि निरीक्षक अनिवार्य रूप से प्रति सप्ताह समय सीमा पत्रों की समीक्षा बैठक में उपस्थित हो, यह सुनिश्चित किया जाए। यह निर्देश कलेक्टर गोपालचंद्र डाड ने समय सीमा पत्रों की समीक्षा बैठक में दिए।

जावरा एसडीएम राहुल धोटे ने बताया कि जावरा में नकली खाद की आशंका में फैक्ट्री सील की गई है, वहां केमिकल मिले हैं जिनसे मिलावट की आशंका प्रतीत होती है। सैलाना एसडीएम कामिनी ठाकुर ने बताया कि रावटी क्षेत्र में दुकानों पर निरीक्षण कार्यवाही की जाकर मिलावट की आशंका में नमूने प्राप्त किए गए हैं। लोक सेवा गारंटी की समीक्षा के दौरान पाया गया कि रावटी तहसील के 17 आवेदन समय सीमा से बाहर चले गए हैं। नायब तहसीलदार नामली से भी एक आवेदन समय सीमा से बाहर है। कलेक्टर द्वारा संबंधित नायब तहसीलदारों को शोकॉज नोटिस जारी करने और पेनल्टी लगाने के निर्देश दिए गए।

नोटिस के दिए निर्देश- बड़ावदा सीएमओ को आवेदन समय सीमा से बाहर जाने पर शोकाज नोटिस जारी करने के निर्देश दिए गए। आगे भी कार्य नहीं करने पर बड़ावदा सीएमओ के विरुद्ध विभागीय जांच कार्रवाई की जाएगी। सीएम हेल्पलाइन में शिकायतों के निवारण की समीक्षा की गई। एसडीएम को निर्देशित किया कि शासकीय भूमि पर अतिक्रमण के मामलों में फोर्स क्लोज नहीं करना है।

एल-1 स्तर पर 153 शिकायतें- राजस्व विभाग के एल-1 स्तर पर 153 शिकायतें प्रदर्शित हो रही हैं। कलेक्टर द्वारा आगामी 20 जनवरी तक एल-1 स्तर के सभी निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। आगामी 21 जनवरी को आयोजित की जाने वाली दिशा बैठक की तैयारियों के संदर्भ में कलेक्टर द्वारा अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न शिकायतों के निराकरण के संबंध में अपने क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों से चर्चा कर उनके विश्वास में कार्य करें। बैठक में अधिकारी अपने मुद्दों से संबंधित संपूर्ण जानकारी लेकर उपस्थित हो।

दिव्यांग रियाज को मिली ट्राइसाइकिल

जिला स्तरीय जनसुनवाई के दौरान मंगलवार को कलेक्टर कार्यालय सभाकक्ष से रियाज पिता फैयाज खुश होकर लौटा। दिव्यांग रियाज रतलाम की वेदव्यास कॉलोनी के निवासी हैं। उन्होंने मंगलवार को जनसुनवाई में आकर कलेक्टर गोपालचंद्र डाड को आवेदन दिया कि उसकी ट्राईसाईकिल पुरानी होकर खराब हो चुकी है, वह अपना आवागमन ट्राईसाईकिल द्वारा ही करता है, उसे नवीन ट्राईसाईकिल दी जाए। कलेक्टर ने उपसंचालक सामाजिक न्याय पी.एस. चौहान को निर्देशित किया कि ट्राइसिकल उपलब्ध कराई जाए। सामाजिक न्याय विभाग कार्यालय में उपलब्ध ट्राईसाईकिल रियाज को जनसुनवाई में ही प्रदान की गई।

15 कर्मचारियों की नई पदस्थापना

रतलाम। कलेक्टर गोपालचंद्र डाड ने कलेक्टोरेट सेटअप के 15 कर्मचारियों की नई पदस्थापना की है। मंगलवार को जारी आदेश में सहायक वर्ग-02 प्रदीप शेखर श्रीवास्तव को देवस्थाना शाखा के साथ ही भू-अर्जन का भी काम दिया गया है। गजेंद्रसिंह चंदवार को स्थापना शाखा से नाजिर, राजस्व गणक, मोहर्रिर, सहायक अधीक्षक रैवन्यू, नाथूलाल प्रजापत को विभागीय जांच के साथ स्थापना शाखा, महेशचंद्र शर्मा को अभिलेखागार शाखा से जनसुनवाई, कॉलोनी सेल, अरुण शर्मा को शिकायत शाखा से वरिष्ठ लिपिक शाखा, क्रिस्क, सहायक अधीक्षक सामान्य शाखा में पदस्थ किया है। सहायक वर्ग-03 निशा मेठवानी को वरिष्ठ लिपिक शाखा से शिकायत व टीएल शाखा में, महेश शर्मा को नाजिर शाखा से अभिलेखागार शाखा, अजय ओहरी को संपत्तिवाद के साथ वित्तीय शाखा (सहायक), अमृतसागर चौरसिया को वित्त सहायक से भू-अर्जन व सूचना सेल, अश्विन वोहरा को सूचना सेल से राहत, शिकायत, टीएल, लक्ष्मी मरमट को अधीक्षक (सहायक), जितेंद्र कुमार जाट को प्रतिलिपि शाखा में पदस्थ किया गया है।

नई दुनिया
13-1-2021

संकलन–नगर निगम, रतलाम अखबार– पत्रिका ---पृष्ठ ..8....दिनांक...13-1......2021

अब उठी पुलिस चौकी की मांग

एलईडी से होगा आधा दर्जन कॉलोनीवासियों को लाभ

पत्रिका न्यूज नेटवर्क
patrika.com 13-1-2021

रतलाम. शहर के प्रतापनगर से मच्छी नगर चौराहे तक नगर निगम द्वारा एलईडी लगाने का कार्य किया जा रहा है। इससे मंगलम सिटी, प्रतापनगर, मिडटाउन सहित करीब आधा दर्जन क्षेत्र के दोनों तरफ के कॉलोनी में रहने वाले रहवासियों को लाभ होगा। तेजी से चल रहे निर्माण कार्य को इसी माह पूरा करने का लक्ष्य निगम ने लिया है। क्षेत्रीय रहवासियों ने यहां पर पुलिस चौकी की मांग भी की है।

शहर के मंगलम सिटी, प्रताप नगर, मिडटाउन, अहिंसा ग्राम, डीमार्ट रोड, मछली चौराहा तक रोड के दोनों और जी पाइप के खंबे की अंडर ग्राउंड इलेक्ट्रिक एलईडी का लाभ कॉलोनी वासियों एवं शहरवासियों को मिलेगा। उपरोक्त कार्य भोपाल की कंपनी द्वारा किया जा रहा है तथा लगभग 96 इलेक्ट्रिकल पोल के कालम का कार्य लगभग पूर्ण हो चुका है। जेसीबी द्वारा अंडर ग्राउंड पाइप डालकर वायर कनेक्शन दिया जाएगा तथा पोल खड़े किए जाएंगे जो लगभग जनवरी के दूसरे पखवाड़े में पूर्ण हो जाएंगे। क्षेत्र के सुरेश मनसुखानी, मंगलम सिटी निवासी प्रकाश व्यास, मिडटाउन निवासी सुरेश नायर ने शहर विधायक चेतन्य काश्यप, भाजपा जिला अध्यक्ष राजेंद्रसिंह लुनेरा एवं नगर निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया के द्वारा इस कार्य में तेजी लाने के लिए समय समय पर किए जा रहे निरीक्षण कार्य की प्रशंसा की है। इसके साथ ही यह मांग भी की एलईडी लाइट भक्तन की बावड़ी पुलिया तक भी लगाई जाए तथा साथ ही बाहरी वाहनों के लिए स्पीड ब्रेकर सीसी के लगाया जाए। पुलिस प्रशासन से पुलिस चौकी की भी मांग की है जिससे कॉलोनी वासियों को चोरी एवं अन्य घटनाओं पर सुरक्षा प्राप्त हो सके।

शिकायती आवेदनों के निराकरण में लापरवाही पर नायब तहसीलदारों को नोटिस के साथ जुर्माना

रावटी, नामली नायब तहसीलदार व बड़ावदा सीएमओ से मांगा जवाब

भास्कर संवाददाता | रतलाम
13-1-2021

लोक सेवा गारंटी में रावटी तहसील के 17, नायब तहसीलदार नामली और बड़ावदा सीएमओ का एक आवेदन समय सीमा से बाहर चले जाने पर कलेक्टर गोपालचंद्र डाड ने नायब तहसीलदारों को नोटिस जारी करने के साथ पैनल्टी भी लगाई है। इतना ही नहीं आंकड़ों को देखने पर पता चला कि बड़ावदा में कई पिछले आवेदन भी बहुत लंबे समय में पेंडिंग है। यह देख नाराज हुए कलेक्टर ने साफ कहा कि आगे भी बड़ावदा सीएमओ ने काम नहीं किया तो विरुद्ध विभागीय जांच करवाई जाएगी।

मंगलवार को हुई समय सीमा पत्रों की समीक्षा बैठक में कलेक्टर ने मिलावट से मुक्ति के लिए अभियान के तहत सख्ती से कार्रवाई जारी रखी जाए। खाद्य एवं औषधि निरीक्षक अनिवार्य रूप से हर सप्ताह समय सीमा पत्रों की समीक्षा बैठक में उपस्थित होकर जानकारी दें।

उन्होंने एसडीएम से कहा कि सरकार भूमि पर अतिक्रमण के मामलों में फोर्स क्लोज नहीं करें। राजस्व विभाग के एल-1 स्तर पर 153 शिकायतें है। कलेक्टर 20 जनवरी तक एल-1 स्तर की सभी शिकायतों के निराकरण के निर्देश दिए। बैठक में 15 जनवरी को लगने वाले रोजगार मेले की तैयारियों पर भी चर्चा हुई। निगमायुक्त सोमनाथ झारिया ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 की तैयारियों के बारे में बताया। अपर कलेक्टर जमुना भिड़े, सीईओ जिला पंचायत संदीप केरकेट्टा, एसडीएम अभिषेक गहलोत, एमएल आर्य आदि उपस्थित रहे।

जनसुनवाई में 38 प्रकरण का निराकरण किया

कलेक्ट्रेट में मंगलवार को हुई जनसुनवाई में कलेक्टर ने 38 आवेदकों की सुनवाई कर निराकरण किया। मित्र निवास कॉलोनी के अब्दुल वहीद ने अवैध निर्माण, इंद्रा नगर निवासी हेमेंद्र प्रजापति ने डोसीगांव की जमीन वाले रास्ते पर रेलवे द्वारा मालगोदाम बनाकर एंगल लगाने, बाजना के इंद्रवर्धन सोनी ने पड़ोसी द्वारा मकान नहीं बनाने देने की शिकायत की। कलेक्टर ने कार्रवाई के लिए संबंधित विभागीय अधिकारियों को निर्देश दे दिए हैं।

ह. [illegible]
13-1-2021

जनप्रतिनिधियों से नहीं की चर्चा, न कोई सुझाव लिए

मास्टर प्लान के प्रारूप को विधायकों ने सिरे से नकारा

दबंग रिपोर्टर ■ रतलाम

1-6-2021

कलेक्ट्रेट में आयोजित बैठक में जनप्रतिनिधियों व अधिकारियों के मध्य प्रारूप 2035 को लेकर विचार विमर्श हुआ। सोमवार को नगर तथा ग्राम निवेश विभाग द्वारा रतलाम विकास योजना प्रारूप 2035 को अंतिम रूप देने के लिए बैठक आयोजित की गई। बैठक में निर्णय लिया गया कि रतलाम शहर के सुनियोजित ढंग से विकास के संदर्भ में प्रारूप 2035 परफेक्ट तरीके से तैयार किया जाएगा। जनप्रतिनिधियों के सुझाव तथा संबंधित विभागों के समन्वय से विभिन्न बिंदुओं पर समुचित निर्णय लिए जाकर रतलाम विकास योजना प्रारूप 2035 तैयार किया जाएगा, उसके बाद शासन को प्रेषित करेंगे।

बैठक में शहर विधायक चैतन्य काश्यप, जावरा विधायक राजेंद्र पांडे, रतलाम ग्रामीण विधायक दिलीप मकवाना, कलेक्टर गोपालचंद्र डाड, पुलिस अधीक्षक गौरव तिवारी, अपर कलेक्टर श्रीमती जमुना भिड़े, निगमायुक्त सोमनाथ झारिया, एसडीएम अभिषेक गहलोत, नगर एवं ग्राम निवेश के संयुक्त संचालक उज्जैन तथा उज्जैन सहायक संचालक नगर एवं ग्राम निवेश जी.एल. वर्मा तथा अन्य अधिकारी उपस्थित थे। बैठक के प्रारंभ में नगर एवं ग्राम निवेश विभाग द्वारा रतलाम विकास योजना प्रारूप 2035 का प्रजेंटेशन दिया। प्रारूप विभिन्न बिंदुओं में व्यापक विसंगतियों के दृष्टिगत जनप्रतिनिधियों द्वारा सिरे से खारिज कर दिया गया। विधायकों द्वारा इस बात पर सख्त आपत्ति ली गई कि प्रारूप 2035 तैयार करने में जनप्रतिनिधियों से कोई सुझाव प्राप्त नहीं किए गए, उन्हें कोई जानकारी भी उपलब्ध नहीं कराई। जनप्रतिनिधियों का कहना था कि प्रारूप तैयार करने में विभिन्न संशोधनों, विभिन्न स्थापना आदि बिंदुओं पर जनप्रतिनिधियों को जानकारी नहीं दी गई, उनसे सुझाव नहीं लिए गए है। इसके साथ ही संबंधित विभागों के अधिकारियों से समन्वय स्थापित करके आवश्यक बिंदुओं का समावेश किया जाना होगा।

विधायक काश्यप ने दिए सुझाव

कलेक्टर श्री डाड ने नगर तथा ग्राम निवेश के अधिकारी को निर्देश दिए कि रेलवे से लेकर उद्योग, नगर निगम, रतलाम विकास प्राधिकरण, हाउसिंग बोर्ड आदि विभागों के अधिकारियों से चर्चा की जाए। उनके मत तथा शहर हित में सुझाव लेकर ठोस ढंग से प्रारूप 2035 तैयार किया जाए। इसके पश्चात शहर विधायक चैतन्य काश्यप तथा ग्रामीण विधायक श्री मकवाना के साथ बैठक आयोजित कर अंतिम रूप दिया जाए। प्रारूप 2035 के संदर्भ में शहर विधायक श्री काश्यप ने बैठक में कई सुझाव प्रस्तुत किए। रतलाम शहर के हित में सुनियोजित ढंग से मास्टर प्लान तैयार की जाने के लिए श्री काश्यप द्वारा विस्तृत चर्चा की गई। शहर तथा शहर के बाहर के हिस्सों में भूमि के उपयोग, सड़कों, बायपास, उद्यानों की स्थापना, आवासीय तथा व्यवसायिक भूमि उपयोग आदि के बारे में कई बिंदुओं पर महत्वपूर्ण सुझाव उनके द्वारा दिए गए।

संकलन–नगर निगम, रतलाम अखबार राज एक्सप्रेस, पृष्ठ 12 दिनांक 13-1-2021

खाद्य एवं औषधि निरीक्षक की उपस्थिति समय सीमा पत्रों की बैठक में सुनिश्चित की जाए

कलेक्टर द्वारा मिलावट से मुक्ति के लिए अभियान में सख्त कार्रवाई के निर्देश

रतलाम ■ राज न्यूज नेटवर्क 13-1-2021

राज्य शासन के निर्देशानुसार जिले में मिलावट से मुक्ति के लिए अभियान के तहत सख्ती से कार्रवाई जारी रखी जाए। खाद्य एवं औषधि निरीक्षक अनिवार्य रूप से प्रति सप्ताह समय सीमा पत्रों की समीक्षा बैठक में उपस्थित हो, यह सुनिश्चित किया जाए। उक्त निर्देश कलेक्टर गोपालचंद्र डाड ने गत दिवस समय सीमा पत्रों की समीक्षा बैठक में दिए। अपर कलेक्टर श्रीमती जमुना भिड़े, सीईओ जिला पंचायत संदीप केरकेट्टा, एसडीएम अभिषेक गहलोत, एम.एल. आर्य, डिप्टी कलेक्टर सुश्री शिराली जैन तथा जिला स्तरीय अधिकारी बैठक में उपस्थित थे।

बैठक में कलेक्टर द्वारा मिलावट से मुक्ति अभियान के संबंध में सभी एसडीएम से चर्चा की गई। जावरा एसडीएम राहुल धोटे ने बताया कि जावरा में नकली खाद की आशंका में फैक्ट्री सील की गई है, वहां केमिकल मिले है जिनसे मिलावट की आशंका प्रतीत होती है। सैलाना एसडीएम श्रीमती कामिनी ठाकुर ने बताया कि रावटी क्षेत्र में दुकानों पर निरीक्षण कार्यवाही की जाकर मिलावट की आशंका में नमूने प्राप्त किए गए हैं। लोक सेवा गारंटी की समीक्षा के दौरान पाया गया कि रावटी तहसील के 17 आवेदन समय सीमा से बाहर चले गए है। नायब तहसीलदार नामली से भी एक आवेदन समय सीमा से बाहर है। कलेक्टर द्वारा संबंधित नायब तहसीलदारों को शोकॉज नोटिस जारी करने और पेनल्टी लगाने के निर्देश दिए गए। इसी प्रकार बड़ावदा सीएमओ को एक आवेदन समय सीमा से बाहर जाने पर शोकाज नोटिस जारी करने के निर्देश दिए गए। साथ ही कलेक्टर द्वारा कहा गया कि बड़ावदा में विगत आवेदनों में भी लंबन की स्थिति देखी गई है, आगे भी कार्य नहीं करने पर बड़ावदा सीएमओ के विरुद्ध विभागीय जांच कार्रवाई की जाएगी।

अधिकारियों का निर्देशित किया गया

आगामी 21 जनवरी को आयोजित की जाने वाली दिशा बैठक की तैयारियों के संदर्भ में कलेक्टर द्वारा अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न शिकायतों के निराकरण के संबंध में अपने क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों से चर्चा कर उनके विश्वास में कार्य करें। बैठक में अधिकारी अपने मुद्दों से संबंधित संपूर्ण जानकारी लेकर उपस्थित हो। आगामी 15 जनवरी को रतलाम में रोजगार मेले आयोजन की तैयारियों की भी समीक्षा कलेक्टर द्वारा की गई। निगमायुक्त सोमनाथ झारिया द्वारा बैठक में स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में रतलाम को अव्वल स्थान दिलाने के लिए किए जा रहे कार्यों की जानकारी दी गई।

संकलन–नगर निगम, रतलाम अखबार इन्दौर समाचार पृष्ठ 3 दिनांक 1/6/1 2021

गंदगी फैलाने पर 13 व्यक्तियों पर जुर्माना

रतलाम। नगर में ऐसे दुकानदार एवं नागरिक जो कि अपनी दुकानों एवं घरो से निकलने वाले कचरे को कचरा संग्रहण वाहन में नहीं डालते हुए यहां-वहां डालकर नगर को गंदा करते है ऐसे दुकानदार एवं नागरिकों को लगाम लगाने हेतु निगम द्वारा जुर्माने की कार्यवाही की जा रही है साथ ही सीसीटीवी फुटेज के आधार पर गंदगी फैलाने वाले नागरिक एवं दुकानदारों पर घर व दुकानों पर जाकर गठित दल द्वारा जुर्माने की कार्यवाही की जा रही है। नगर के ऐसे दुकानदार एवं नागरिक जो कि खुले में कचरा डालकर नगर को गंदा कर रहे है ऐसे व्यक्तियों पर लगाम लगाने हेतु नगर के विभिन्न स्थानों पर स्थापित सीसीटीवी कैमरों से सख्त निगरानी रखी जा रही है इस हेतु पुलिस कन्ट्रोल रूम पर 3 पालियों में कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई। निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार जैन अगरबत्ती दिलीप नगर पर 500, गुरबानी इलेक्ट्रॉनिक, दूरदर्शन इलेक्ट्रॉनिक नाहरपुरा पर 400-400, सोहेल फल मण्डी, अशोक नाहरपुरा पर 300-300, सिद्धार्थ किराना, ताहेर किराना मिर्ची गली, मकबुल पटेल, मोहम्मद सलीम, शैरानी फ्रूट ऐजेन्सी, आशिक भाई फल मण्डी, श्री रेडियो, एटलस इलेक्ट्रॉनिक नाहरपुरा पर 250-250 रूपये का स्पॉट फाईन किया गया। जुर्माने की कार्यवाही प्रभारी स्वास्थ्य अधिकारी ए.पी. सिंह, झोन प्रभारी किरण चौहान व पर्वत हाड़े, उप स्वच्छता निरीक्षक विनय चौहान आदि के द्वारा की गई। गंदगी व मलवा फैलाने, अतिक्रमण करने पर संबंधितों के विरूद्ध जुर्माना किये जाने का अभियान निरंतर जारी रहेगा।

गंदगी फैलाने वाले 25 व्यक्तियों पर जुर्माना

रतलाम। नगर निगम द्वारा सीसीटीवी फुटेज के आधार पर गंदगी फैलाने वाले नागरिकों व दुकानदारों पर जुर्माने की कार्रवाई की जा रही है। शहर के विभिन्न स्थानों पर स्थापित सीसीटीवी कैमरों से सतत नजर रखी जा रही है। इसके लिए पुलिस कंट्रोल रूम पर तीन पालियों में कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार गंदगी फैलाने पर राज पेंट माणक चौक, गज्जा चायवाला सालाखेड़ी पर 500-500, गांधी वस्त्रालय माणक चौक, कमलाबाई, करणसिंह, सालाखेड़ी, फखरी किराना, हैदरी स्टोर, नजवी किराना, रमेश अग्रवाल, वीरेंद्र, राजमल, कुतुबुद्दीन, हकीमुद्दीन, ख्वासवाला, हेमंत स्टोर व मालवा स्टील मिर्ची गली पर 300-300, एसबी वस्त्रालय, यूनिक बैग, सैफी रेडिमेड, गोपी माणक चौक पर 250-250, आलोक, राजेंद्रसिंह महू रोड बस स्टैंड पर 200-200, राजकुमार, जगदेवसिंह, गोस्वामी महू रोड बस स्टैंड पर 50-50 रुपये का जुर्माना किया गया। जुर्माने की कार्रवाई प्रभारी स्वास्थ्य अधिकारी एपी सिंह, जोन प्रभारी किरण चौहान, पर्वत हाड़े, उप स्वच्छता निरीक्षक विनय चौहान ने की।